प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-29 अप्रैल, 2016**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति। (राज्यांश)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-02/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015-16, दिनांक-01.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 5,04,17,00,000.00 (रूपये पॉच अरब चार करोड सत्रह लाख मात्र) में से भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-12036/1/2015-आर0सी0 (एफ0एम0एस0नं0-341739) दिनांक-28.03.2016 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1,88,10,65,000.00 (रूपये एक अरब अठ्ठासी करोड़ दस लाख पैसठ हजार मात्र), के सापेक्ष राज्यांश रू0 1,25,06,00,000.00 (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ छः लाख मात्र) में से पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-39/2015/पी-766/अड़तीस-9-2015-03(बजट)/2015, दिनांक-09.09.2015 द्वारा वित्त विभाग से स्वीकृत धनराशि रू0 4,00,00,00,000.00 (रूपये चार अरब मात्र) में पूर्व में समायोजित धनराशि रू0 2,50,00,00,000.00 (रूपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) व रू0 1,31,00,00,000.00 (रूपये एक अरब इकतीस करोड़ मात्र) के पश्चात् अवशेष धनराशि रू0 19,00,00,000.00 (रूपये उन्नीस करोड़ मात्र) को समायोजित करते हुये रू0 1,06,06,00,000.00 (रूपये एक अरब छः करोड़ छः लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जायेगा, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व संगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जाय तथा उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व संगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-यू0ओ0-2-438/दस-2016, दिनांक-29 अप्रैल, 2016 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

<u>संख्या-21/2016/ पी-279 (1)/अड़तीस-9-2016, तद दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक (ग्रामीण सम्पर्कता), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
6- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।